# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 04/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :— 2021/98

## उनवान

1. गोपाल पुत्र रामजीलाल (मृतक)
    1/1. मोहन सिंह
    1/2. सुन्दर सिंह
    1/3. हरकेश सिंह
    1/4. राधा
    1/5. पिस्ता
    1/6. मुनेश
    1/7. मिथलेश
    1/8. श्रीमती किरन
    1/9. श्रीमती केला
    } पिसरान स्व0 गोपाल
2. राजाराम पुत्र बुगल सिंह

} समस्त जाति गूजर नि0 ग्राम रामबाग तह0 व जिला डीग।

........................अपीलांट।

बनाम

1. जहान सिंह पुत्र बिरजी (मृतक)
    1/1. हरिओम पुत्र जहान सिंह
    1/2. बत्तन पत्नी जहान सिंह
2. सोनू
3. विकास } पुत्रगण स्व0 सौदान
4. गुल्लू
5. जगराम } पुत्रगण स्व0 बीरजी
6. मंगली पत्नी स्व0 प्रकाश
7. करतार पुत्र प्रकाश (मृतक)
    7/1. हेमलता पत्नी स्व0 करतार
    7/2. महावीर पुत्र स्व0 करतार
8. महेश
9. रमेश } पुत्रगण स्व0 प्रकाश

} जाति गूजर नि0 ग्राम रामबाग तह0 व जिला डीग।

10. हुकम सिंह
11. लोकेन्द्र } पुत्र कुँवर सिंह } जाति गूजर नि0 ग्राम मुडसेरस तह0 गोवर्धन जिला मथुरा।
12. भोवल पुत्र भज्जू (मृतक)

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

12/1. परमोली
12/2. सोहनलाल
12/3. विशन } पिस0 स्व0 भोवल
12/4. रत्ती
12/5. नबाव
12/6. सरोज
12/7. सन्ता
12/8. बलवीर कौर
12/9. नहनी पुत्री स्व0 भोवल(मृतक)
12/9/1. अजीत दोहित्रा स्व0 भोवल
13. गिर्राज पुत्र भज्जू
14. हरचन्दी पुत्र रजोल
15. अर्जुन पुत्र रजोल(मृतक)
15/1. नरेश } पुत्र स्व0 अर्जुन
15/2. हरभान
15/3. श्रीमती पीतम पत्नी स्व0 अर्जुन
16. शिवराम पुत्र रजोल
17. समीर पुत्र रामहरी
18. संतोष पत्नी रामहरी
19. अर्चना पुत्री रामहरी

} जाति गूजर नि0 ग्राम रामबाग तह0 व जिला डीग।

20. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
21. तहसीलदार , तहसील डीग।
22. विजय लक्ष्मी पत्नी योगेश कुमार जाति ब्राह्म्ण निवासी ग्राम अढावली तहसील व जिला डीग।
23. शारदा पत्नी गजेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम सहारई तहसील व जिला डीग।

.......................... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर, डीग दि0 04.07.2019 मि.नं. 317/14 उनवानी गोपाल बनाम जहान सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री अनिल कुमार गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री लोकेन्द्र सिंह व शंकरपाल उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिनांक–30.01.2024

## निर्णय

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 26, 27 वाके ग्राम रामबाग तहसील डीग में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार व कुटम्ब के सदस्य हैं। विवादित आराजी खसरा नम्बर 26 को हाल बन्दोबस्त में गत खसरा नम्बर 11/7–6 बीघा से बनाया गया है। उक्त आराजी पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो की संयुक्त परिवार की आराजी थी। जिसका आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो मे मध्य वसमूल दीगर आराजी वाहमी बॅटवारा हो गया और उक्त बटॅवारे में खसरा नम्बर 11/7–6 का हिस्सा 2/3 वादी संख्या 01 तथा शेष हिस्सा 1/3 वादी संख्या 02 के हिस्से में आया था तथा मुताबिक बॅटवारा आज तक उक्त विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण के नाम वादीगण के साथ–साथ हाल राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख से कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। साथ ही यह भी निवेदन किया कि साविक खसरा नम्बर 11/7–6 बीघा की नवीन पैमाईश में आराजी 116 एयर होती है लेकिन हाल बन्दोबस्त में नवीन खसरा नम्बर बनाते समय गलत तरीके से गत रकवा के मुकाबले 0.41 एयर कम दर्ज किया गया है। विवादित आराजी से भिडा हुआ खसरा नम्बर 27/7.75 है0 है जिसमें गत रकवा के मुकाबले बेसी रकवा दर्ज कर दिया है। अतः कम हुये रकवे को उक्त खसरा नम्बर से पूर्ति किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 19 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये, बहस अपीलाण्ट व रैस्पो0 संख्या 22 व 23 की सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 26 साविक खसरा नम्बर 11 से बन्दोबस्त विभाग ने निर्मित किया है। जिस पर राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट व रैस्पो० बतौर खातेदार दर्ज हैं। विवादित आराजी पर रैस्पो० के खातेदारी इन्द्राज गलत रूप से दर्ज किये जा रहे हैं। चूंकि विवादित आराजी का अपीलाण्ट व रैस्पो० के पूर्वजो ने लगभग 60 वर्ष पूर्व पारिवारिक समझौता में अपीलाण्ट को दे दिया था, तभी से विवादित आराजी पर रैस्पो० का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय में इस बाबत् रैस्पो० ने राजीनामा भी प्रस्तुत किया था। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में भूल की है। यह है कि साविक खसरा नम्बर 11/7–6 बीघा की नवीन पैमाईश में आराजी 116 एयर होती है लेकिन हाल बन्दोबस्त में नवीन खसरा नम्बर बनाते समय गलत तरीके से गत रकवा के मुकाबले 0.41 एयर कम दर्ज किया गया है एवं विवादित आराजी से भिडा हुआ खसरा नम्बर 27/7.75 है० है जिसमें गत रकवा के मुकाबले 1.67 है० बेसी रकवा दर्ज कर दिया है। यह तथ्य गत व हाल नक्शे व रिकार्ड से साबित होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी अपीलाण्ट खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन् आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो० ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि खसरा नम्बर 26 में से आराजी क्रय की है। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 से पक्षकार मुकदमा बने हैं। अतः हमे अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी को अपने एवं रैस्पो० के पूर्वजो के मध्य पूर्व में हुये पारिवारिक बॅटवारा में अपने हिस्से में आना कथन करते हैं। परन्तु उनके द्वारा उक्त तथ्य की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मौखिक कथन प्रभावहीन है। मात्र मौखिक कथन एवं दावें में उल्लेख के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते हैं। जहॉ तक रकवा कमी पूर्ति का प्रश्न है। अपीलाण्ट ने खसरा नम्बर 27 से रकवा कमी पूर्ति का अनुतोष चाहा है। परन्तु विवादित साविक खसरा नम्बर 11/7–6 बीघा के साथ मुताबिक साविक जमाबन्दी 2023–26 के खाता संख्या 64 की प्रविष्टियो से स्पष्ट है कि साविक खसरा नम्बर के साथ में अन्य साविक खसरा नम्बर किता 29 रकवा 130 बीघा 17 विस्वा पर वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादीगण रैस्पो० के पूर्वज खातेदार दर्ज हैं। परन्तु वादी अपीलाण्ट ने अपने वादपत्र में उक्त साविक जमाबन्दी में अन्य साविक खसरा नम्बरान को छोडते

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

हुये मात्र खसरा नम्बर 11 को विवेचित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि वादी अपीलाण्ट ने दावा स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया है एवं सही तथ्यो को छुपाया है। खसरा नम्बर 27 राजकीय आवास निर्माण जी.ए.डी हेतु आरक्षण सैट अपार्ट राजस्व विभाग (गैर मुमकिन पहाड) दर्ज है। उक्त सभी साविक खसरा नम्बरान के रकवा को स्पष्ट किये वादी अपीलाण्ट खसरा नम्बर 27 में से रकवा कमी पूर्ति का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट, अधीनस्थ न्यायालय में अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2019 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30-01-2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 04/21 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस सख्या :— 2021/98

उनवान

1. गोपाल पुत्र रामजीलाल (मृतक)
   - 1/1. मोहन सिंह
   - 1/2. सुन्दर सिंह
   - 1/3. हरकेश सिंह
   - 1/4. राधा
   - 1/5. पिस्ता
   - 1/6. मुनेश
   - 1/7. मिथलेश
   - 1/8. श्रीमती किरन
   - 1/9. श्रीमती केला

   (1/1 से 1/9) पिसरान स्व0 गोपाल
2. राजाराम पुत्र बुगल सिंह

समस्त जाति गूजर नि0 ग्राम रामबाग तह0 व जिला डीग।

.......................अपीलांट।

बनाम

1. जहान सिंह पुत्र बिरजी (मृतक)
   - 1/1. हरिओम पुत्र जहान सिंह
   - 1/2. बत्तन पत्नी जहान सिंह
2. सोनू } पुत्रगण स्व0 सौदान
3. विकास }
4. गुल्लू } पुत्रगण स्व0 बीरजी
5. जगराम }
6. मंगली पत्नी स्व0 प्रकाश
7. करतार पुत्र प्रकाश (मृतक)
   - 7/1. हेमलता पत्नी स्व0 करतार
   - 7/2. महावीर पुत्र स्व0 करतार
8. महेश } पुत्रगण स्व0 प्रकाश
9. रमेश }

(1 से 9) जाति गूजर नि0 ग्राम रामबाग तह0 व जिला डीग।

10. हुकम सिंह } पुत्र कुँवर सिंह } जाति गूजर नि0 ग्राम मुडसेरस तह0 गोवर्धन जिला मथुरा।
11. लोकेन्द्र }

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

भोवल पुत्र भज्जू (मृतक)

12/1. परमोली
12/2. सोहनलाल
12/3. विशन
12/4. रत्ती
12/5. नबाव
12/6. सरोज
12/7. सन्ता
12/8. बलवीर कौर

(12/1 से 12/8: पिस0 स्व0 भोवल)

12/9. नहनी पुत्री स्व0 भोवल(मृतक)
12/9/1. अजीत दोहित्रा स्व0 भोवल
13. गिर्राज पुत्र भज्जू
14. हरचन्दी पुत्र रजोल
15. अर्जुन पुत्र रजोल(मृतक)
15/1. नरेश
15/2. हरभान

(15/1 व 15/2: पुत्र स्व0 अर्जुन)

15/3. श्रीमती पीतम पत्नी स्व0 अर्जुन
16. शिवराम पुत्र रजोल
17. समीर पुत्र रामहरी
18. संतोष पत्नी रामहरी
19. अर्चना पुत्री रामहरी

(उपरोक्त सभी: जाति गूजर नि0 ग्राम रामबाग तह0 व जिला डीग।)

20. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
21. तहसीलदार , तहसील डीग।
22. विजय लक्ष्मी पत्नी योगेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अढावली तहसील व जिला डीग।
23. शारदा पत्नी गजेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम सहारई तहसील व जिला डीग।

.......................... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर, डीग दि0 04.07.2019 मि.नं. 317/14 उनवानी गोपाल बनाम जहान सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री अनिल कुमार गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री लोकेन्द्र सिंह व शंकरपाल उपस्थित।

यह अपील .30.................माह.....01..............सन्...2024.......व हमारे.....श्री अनिल कुमार गुप्ता एड...........मिनजानिब अपीलाण्ट व श्री लोकेन्द्र सिंह व शंकरपाल ...................... रैस्पोडेण्ट समायत के लिये पेष होकर यह हुक्म है कि... है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2019 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

(खर्चा अपील................का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग..........................)रुपये.........
.........अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का........................................अदा करें बसब्त मेरे दस्तखत व
मुहर अदालत के आज तारीख.........30...........माह.........01........सन्..........2024.........को जारी की

30-01-2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।